अति महत्वपूर्ण

संख्या- 6/2025/ 14 /सैतालीस-का-5-2025

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 **लखनऊः 22-01-2025**

विषयः-समूह 'क' एवं 'ख' श्रेणी के अधिकारियों के वर्ष 2023-24 की वार्षिक प्रविष्टि मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या- 03/2025/09/सैतालीस-का-2025 (1884274), दिनांक 17.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा वर्ष 2023-2024 के ऑनलाइन गोपनीय प्रविष्टियां हेतु वर्कफ्लो जनरेशन के लिए दिनांक 22.01.2025 तक का अतिरिक्त समय निर्धारित करते हुए स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता मन्तव्य अंकन हेतु क्रमशः दिनांक 27.01.2025, 01.02.2025, 06.02.2025 एवं दिनांक 11.02.2025 तक समय प्रदान किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आलोच्य वर्ष 2023-24 की वर्कफ्लो जनरेशन की निर्धारित तिथि 22.01.2025 से बढाकर 26.01.2025 तक किया जाता है। उक्त शासनादेश दिनांक 17.01.2025 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी। कृपया उपरोक्तानुसार सर्वसंबंधित को अग्रतर कार्यवाही हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
7. सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
8. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।
9. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
10. निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
11. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. वेब अधिकारी/वेब मास्टर, नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग, उत्तर प्रदेश।
13. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।